

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

जस्सुम प्रोपकोन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1. कार्पोरेट देनदार का नाम	जस्सुम प्रोपकोन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2. कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	05/12/1984
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली
4. कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74899DL1984PTC019484
5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय: रेक्टंगल-1, डी-4, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली डीएल-110017, भारत
6. कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभ तिथि	31.10.2019 (माननीय एनसीएलटी नई दिल्ली प्रिंसिपल बैंच के आदेश से, सीपीसी नंबर- (आईबी) - 1756 (पीबी) / में 2018 को 31.10.2019, हालांकि आईआरपी द्वारा आदेश 15.11.2019 को ही प्राप्त किया गया है)
7. ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	28.04.2020 (दिवाला प्रक्रिया आरम्भ होने की तिथि से 180वां दिन)
8. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम : सपन मोहन गर्ग पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-002/IP- N00315/2017-2018/10903
9. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	पता: मैसर्स सपन गर्ग एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सी -585 बेसमेंट, # जेड -94, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 ईमेल : sapan10@yahoo.com
10. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	पता: मैसर्स सपन गर्ग एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सी -585 बेसमेंट, # जेड -94, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 ईमेल : cirpjassum@gmail.com
11. दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	29.11.2019
12. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के तहत आबंटी
13. किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	1. नाम : श्री बिहारी लाल चक्रवर्ती पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00863/2019-2020/12776 पता : जी सी 901 आदित्य मेगा सिटी, वैभव खंड इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201014 ईमेल : blchakravarti25@gmail.com 2. नाम : सुश्री राकेश वर्मा पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P-01814/2019-2020/12794 पता : मकान नं. 1099, विकास कुंज, विकास पुरी, नई दिल्ली -110018 ईमेल : rverma@ravkassociates.com 3. नाम : श्री मनोज सहगल पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00108/2017-2018/10256 पता : फ्लैट 304, टॉवर 5 अंसल वैली व्यू एस्टेट ग्वाल पहाड़ी, गुडगांव, हरियाणा -122003 ईमेल : manojsehgal_1121@yahoo.co.in
14. (क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	वेबलिनक: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पता: https://www.ibbi.gov.in/ips-register/registered-ips दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया, 7वीं मंजिल, मयूर भवन, शंकर मार्केट, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली -110001

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक **31 अक्टूबर, 2019** को जस्सुम प्रोपकोन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। (आदेश की प्रति आईआरपी द्वारा 15 नवंबर, 2019 को प्राप्त हुई)

जस्सुम प्रोपकोन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण **29 नवंबर 2019** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि प्रपत्र सीए में निदर्शित करेगा।

भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के चैप्टर IV के अनुसार दावों का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दावों का प्रमाण निम्नलिखित निर्दिष्ट प्रपत्रों के माध्यम से दावे, दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना है।

फॉर्म बी - ऑपरेशनल क्रेडिटर्स (कामगारों और कर्मचारियों को छोड़कर) के दावों के लिए **फॉर्म सी** - वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए, **फॉर्म सीए** - पूर्वोक्त के रूप में वर्ग में वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए, **फॉर्म डी** - कामगार और कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए, **फॉर्म ई** - कामगार और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावों के लिए, **फॉर्म एफ** - लेनदारों द्वारा दावे, वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के अलावा

दावे के फॉर्म अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

दिनांक : 17 नवंबर 2019
स्थान : दिल्ली

हस्ता /-
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम और हस्ताक्षर : **सपन मोहन गर्ग**
पंजीकरण संख्या- IBBI/IPA-002/IP- N00315/2017-2018/10903

